

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर, दिनांक 23.02.2018

आदेश

14वीं विधानसभा के दशम सत्र में सूचीबद्ध प्रश्नों, ध्यानाकर्षण, विशेष उल्लेख प्रस्ताव, एवं याचिका के निस्तारण हेतु दिनांक 24.02.2018 एवं 25.02.2018 (शनिवार एवं रविवार) राजपत्रित अवकाश के दिन कार्यालय खुला रखकर निदेशालय के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने से संबंधित सूचीबद्ध प्रश्न तथा ध्यानाकर्षण, विशेष उल्लेख प्रस्ताव एवं याचिका का निस्तारण करेंगे एवं राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय भी खुले रखकर विधानसभा संबंधित कार्य सम्पादित करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

५१३
(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति० प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
2. शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2/3) विभाग, राज० जयपुर।
3. परियोजना निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक (आरएमएससीएल) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य/आरसीएच/एड्स/आईईसी) निदेशालय।
6. वित्तीय सलाहकार निदेशालय।
7. अति० निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन/चिकित्सा प्रशासन/आरसीएच/ग्रामीणस्वास्थ्य) निदेशालय।
8. संयुक्त निदेशक (योजना/अंधता) निदेशालय।
9. नोडल अधिकारी (सीएमआईएस/एमएनजेवाई/एमएनडीवाई/एनसीडी/एटीसी/फ्लोरोसिस/मेन्टल हैल्थ/आईडीएसपी/आईसीडीएस) निदेशालय।
10. औषधि नियंत्रक निदेशालय।
11. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें समस्त जोन राजस्थान।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राज० जयपुर।
13. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को सम्बन्धित की मेल आईडी पर उपलोड करने का श्रम करें।

५१३
उप शासन सचिव